न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 4537–तीन/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–12–2013 पारित द्वारा न्यायालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 5(1)/2013–14/3403

....

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड,
सेहतगंज, जिला–रायसेन (म0प्र0)

................अपीलार्थी

विरूद्ध

1– आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर
2– उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, भोपाल/रीवा
3– सहायक आबकारी आयुक्त, जिला–रायसेन
4– जिला–आबकारी अधिकारी, जिला–शहडोल
5– जिला–आबकारी अधिकारी, सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला–रायसेन

...................प्रत्यर्थीगण

....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अपीलार्थी,
श्री एच0के0 अग्रवाल, पैनल अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23 सितम्बर 2015 को पारित)

यह अपील, अपीलार्थी द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 (जिसे आगे केवल अधिनियन कहा जायेगा) की धारा 62 के अंतर्गत बने अपील, रिवीजन तथा रिव्यु नियमों के पैरा (2) सी के अंतर्गत आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–12–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, अपीलार्थी मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा0लि0 सेहतगंज, जिला–रायसेन को वर्ष 2011–12 में शहडोल के क्षेत्र में देशी मदिरा प्रदाय करने की अनुमति कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पत्र क्रमांक 5(1)10–11/452 दिनांक 15–02–2011 के द्वारा दी गई। जिला आबकारी अधिकारी, शहडोल ने उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता रीवा के पत्र क्रमांक आब0/ठेका/2011/935 दिनांक 9–9–2011, पत्र क्रमांक आब0/ठेका/2011/1183 दिनांक 5–11–2011, पत्र क्रमांक आब0/ठेका/2011/1263 दिनांक 7–12–2011, पत्र क्रमांक आब0/ठेका/2012/168 दिनांक 9–2–2012, पत्र क्रमांक आब0/ठेका/2012/285 दिनांक 12–3–2012 तथा जिला आबकारी अधिकारी जिला शहडोल के पत्र कमांक आब/ठेका/12/12 दिनांक 04–1–12 एवं पत्र कमांक आब/ठेका/12/1080 दिनांक 02–4–12 के माध्यम से अवगत कराया कि मद्यभाण्डार शहडोल पर माह सितम्बर 2011 से मार्च 2012 तक भरी हुई बोतलों का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्टोक के अनुसार नहीं रखा गया है। इस त्रुटी एवं अनियमितताओं के कारण अपीलार्थी मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा0लि0 सेहतगंज, जिला–रायसेन को उक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 5(1)/2011–12/1832 दिनांक 20–6–2012 के जरिये कारण बताओ नोटिस दिया गया, जिसका जवाब मेसर्स सोम डिस्टलरीज द्वारा दिनांक 09–3–2013 को प्रस्तुत किया गया। आबकारी आयुक्त ग्वालियर द्वारा दिनांक 03–12–2013 को आदेश पारित कर सोम डिस्टलरीज लिमिटेड सेहतगंज जिला रायसेन को मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4(4) का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुये अर्थदण्ड रुपये 10,000/–(पन्द्रह हजार रुपये) शास्ति आरोपित किया तथा इसके साथ साथ उक्त उल्लंघन के लिये प्रदाय संविदाकार को शहडोल जिले के मद्यभाण्डारगार शहडोल पर सितम्बर 2011 से मार्च 2012 तक कुल 11 दिवस केवल बोतल बंद मंदिरा का निर्धारित [illegible]
से रुपये 250/– [illegible]

12,750/– (रुंपये बारह हजार सात सौ पचास) की शास्ति आरोपित करने का आदेश दिया। आबकारी आयुक्त, ग्वालियर के उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

4/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा अपने कारण बताओ सूचना–पत्र के जवाब में जो आधार बताये गये थे उन पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत रूप से कोई विचार नहीं किया गया। आसवक को देशी मदिरा प्रदाय की अनुमति वर्ष 2011–12 में कार्यालय पत्र क्रमांक 5(1)/2010–11/452 दिनांक 15–02–2011 द्वारा दी गई थी, जिसमें माह सितम्बर 2011 से मार्च 2012 तक भरी हुई बोतलों का संग्रह न्यूनतम स्कंध के अनुसार मदिरा का प्रदाय ईमानदारी एवं गम्भीरतापूर्वक तथा समर्पण के साथ बिना किसी शासकीय नुकसान के पूरा किया गया था। फुटकर ठेकेदारों को उनकी मांग के अनुसार मद्यभाण्डागार शहडोल में मदिरा का प्रदाय किया गया था एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये थे, जिस पर विचार किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कम्पनी पर जो आरोप चालानों के लंबित रहने का लगाया गया है वह निराधार है, जबकि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा आवश्यक संग्रह हमेंशा रखा गया था एवं प्रदाय किया गया था यह कहना गलत है कि चालान लंबित रहने का कारण मदिरा का न्यूनतम संग्रह है, बल्कि वास्तविकता यह है फुटकर लायसेंसियों द्वारा मदिरा उठाने में अक्षम होने की वजह से मदिरा का प्रदाय नहीं किया जा सकता था। अतः इस कारण शासन को किसी भी प्रकार की राजस्व की कोई क्षति नहीं हुई और न ही किसी फुटकर लायेसेंसी द्वारा हुये नुकसान की पूर्ति की मांग शासन से नहीं की है। इसलिये अपीलार्थी कम्पनी पर किसी भी प्रकार की कोई भी शास्ति नहीं लगायी जा सकत है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए0आई0आर0 1970 सुप्रीम कोर्ट 253 एवं ए0आई0आर0 1980 सुप्रीमत कोर्ट 346 ए0आई0आर0 1980 सुप्रीमत कोर्ट 1990 एवं सुप्रीम कोर्ट 1979 के न्याय दृष्टांत प्रतिपादित किये है जिन पर विचार किये बिना एवं अपीलार्थी

कम्पनी के कारण बताओ सूचना–पत्र के जवाब पर विधिवत विचार किये बिना जो आदेश पारित किया गया है वह अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी कम्पनी पर चालानों के लंबित रहने का आरोप लगाया है वह निराधार है जबकि अपीलार्थी कम्प्नी द्वारा आवश्यक संग्रह हमेशा रखा एवं प्रदाय किया था। यह कहना कि चालान लंबित रहने का करण मदिरा का न्यूनतम संग्रह है बल्कि वास्तविकता यह है कि फुटकर लायसेंसियों द्वारा मदिरा उठाने में अक्षम होने की वजह से मदिरा का प्रदाय नहीं किया जा सका था। इस कारण शासन को किसी भी प्रकार राजस्व की कोई क्षति नहीं हुई और नही किसी फुटकर लायसेंसी द्वारा हुए नुकसान की पूर्ति की मांग शासन से नहीं की है। जब राज्य शासन को कोई हानि ही नहीं हुई है तब ऐसी स्थिति में अपीलार्थी कम्पनी पर किसी प्रकार की कोई शास्ति नहीं लगायी जा सकती। राज्य शासन को क्या हानि हुई इसे सिद्ध करने का प्रमाण भार राज्य शासन पर था जो कि उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया। इसलिए प्रमाण भार के अभाव में शासन को हुई हानि की कल्पना नहीं की जा सती। यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में जिस गणना के आधार पर दिनों की गणना की गयी है वह त्रुटिपूर्ण है इसी प्रकरण में माह के नाम वाले कॉलम में 1/12 से 3/13 का उल्लेख किया जिसमें चालान पेन्डिग रहने के दिन 11 तथा चालान पेन्डिग नहीं रहने के लिए 14 बनाये गये जो कि गणितीय त्रुटि है ऐसी स्थिति में अवैध त्रुटि के आधार पर जो शास्ति लगाई गई वह अवैध है। यह भी कहा कि आसवक द्वारा प्रदाय हेतु उपलब्ध स्कंध की जानकारी पत्र दिनांक 28–7–2011 के द्वारा प्रेषित की गई थी, जिसमें फुटकर ठेकेदारों के द्वारा मदिरा प्रदाय कम लिये जाने का कारण मद्य भाण्डागारों में आसवक की गाड़ियां 3–3 दिन तक खाली नहीं हो पाने के कारण उल्लिखित किया गया था। साथ ही मौखिक रूप से जिला आबकारी अधिकारी शहडोल को भी उक्त स्थिति की जानकारी दी गई थी कि मद्य भण्डारगारों के सील बन्द मदिरा का स्टॉक अधिक मात्रा में हो गया था।

आसवक के द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया था एवं निवेदन किया था कि फुटकर ठेकेदारों द्वारा मदिरा का प्रदाय लिये जाने उचित पत्राचार/दिशा–निर्देश देने का कष्ट करें। चालान का लंबित रहना अन्य व्यवहारिक कारणों जैसे फुटकर ठेकेदारों द्वारा समय पर चालान जमा नहीं करना, बेसिक लायसेंस फीस जमा नहीं होना एवं प्रदाय मूल्य का भुगतान नहीं होने के कारण प्रदाय नही किया जा सकता है। जिसका यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि स्कंध की अनुपलब्धता थी। फुटकरी विकेता नियम–5 मध्यप्रदेश देशी मदिरा नियम 1995 के अन्तर्गत निर्देशित उपबंधों के अनुपालन करने के पश्चात ही स्कंध प्राप्त करने की अधिकारिता रखता है। किसी भी फुटकर ठेकेदार द्वारा प्रदाय व्यवस्था के विषय में कोई शिकायत नहीं की गई है न ही हमारी प्रदाय व्यवस्था के कारण किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं उठाना पडा है। ऐसी स्थिति में आसवक को जबावदेह नहीं माना जा सकता। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की जाए।

5/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि आसवानी बोतल भराई एवं भण्डागार नियम के प्रावधानों के अनुसार आसवक के पूर्ण जोखिम व उत्तरदायित्व पर मदरा अन्य स्त्रोंतों से प्रात की गई थी अन्य स्त्रोतों से मदिरा प्राप्त करने पर हुआ व्यय की प्रतिपूर्ति का पूर्ण दायित्व आवसक का ही था। अतः निगरानी निरस्त की जाये। यह भी तर्क किया कि आबकारी आयुक्त के पत्र कमांक 5(1)/2011–12/1711 दिनांक 07–5–2012 के जरिये कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जिला शहडोल के मद्यभाण्डागार में बोतलों का संग्रह निर्धारित स्कंध के अनुसार नहीं रखने के कारण फुटकर ठेकेदारों की मांग अनुसार प्रदाय देने में विलम्ब हुआ। उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता रीवा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार मद्यभाण्डागार जिला शहडोल में सितम्बर 2011 से मार्च 2012 तक भरी हुई देशी मदिरा की बोतलों का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध के अनुसार नहीं रखा गया है जिसके कारण मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रहे। अतः प्रार्थी अभिभाषक

द्वारा तर्क में माह वाले कॉलम में जनवरी 12 से मार्च 13 का उल्लेख होना बताया है, जो सही नहीं है। आबकारी आयुक्त ग्वालियर द्वारा दिनांक 03–12–2013 को आदेश पारित कर सोम डिस्टलरीज लिमिटेड सेहतगंज जिला रायसेन को मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4(4) का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुये अर्थदण्ड रुपये 10,000/–(पन्द्रह हजार रुपये) शास्ति आरोपित किया तथा इसके साथ ही उक्त उल्लंघन के लिये प्रदाय संविदाकार को शहडोल जिले के मद्यभाण्डारगार शहडोल पर सितम्बर 2011 से मार्च 2012 तक कुल 11 दिवस केवल बोतल बंद मंदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने से रुपये 250/– प्रतिदिन के मान से रुपये 2,750/– इस तरह कुल रुपये 12,750/– (रुपये बारह हजार सात सौ पचास) की शास्ति आरोपित की गई है, जो विधिअनुकूल प्रतीत होती है। अतः अपील निरस्त की जाये।

6/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोक किया। आबकारी आयुक्त के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी इकाई द्वारा मद्यभाण्डागार जिला शहडोल में सितम्बर 2011 से मार्च 2012 तक भरी हुई देशी मदिरा की बोतलों का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध के अनुसार नहीं रखा गया है जिसके कारण मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रहे, जिनका उल्लेख आबकारी आयुक्त ने अपने आदेश में किया है। अतः स्पष्ट है कि जहां अपीलार्थी इकाई द्वारा टेण्डर एवं लायसेंस की शर्तों का उल्लघंन किया गया है वहीं म0प्र0 देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 4(4) का भी उल्लंघन किया है क्योंकि नियम 4(4) में न्यूनतम संग्रह रखे जाने का प्रावधान है। जहां नियम 4(4) का उल्लंघन है वहां नियम 12(1) के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान है। म0प्र0 देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 12(1) के अनुसार "इन नियमों में से किसी नियम या आबकारी अधिनियम 1915 के किसी उपबन्ध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आबकारी आयुक्त के किसी आदेश के भंग या उल्लंघन के लिए 50,000/– रूपये (पचास हजार रूपये) से अनधिक की शास्ति

अधिरोपित कर सकेगा और ऐसे उल्लंघन के लगातार चालू रहने की दशा में ऐसी और शास्ति जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा भंग या उल्लंघन चालू रहता है, 1000/– रूपये (एक हजार रूपये) से अनधिक की अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।'' अतः आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी इकाई पर शास्ति अधिरोपित करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की है। इस संबंध में अपीलार्थी इकाई द्वारा तर्कों में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि अपीलार्थी की ओर से न्यूनतम संग्रह रखने में शासन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है इसलिये उस पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में जहां अधिनियम अथवा नियमों में स्पष्ट आज्ञापक प्रावधान है और उन प्रावधानों का उल्लंघन अपीलार्थी इकाई द्वरा किया गया है, तब उस पर शास्ति अधिरोपित की जाना वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिए प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार का निष्कर्ष अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ने प्रकरण कमांक अपील 187–दो/2014 आदेश दिनांक 8–9–15, अपील 188–दो/2014 आदेश दिनांक 8–9–15 एवं अपील 189–दो/2014 आदेश दिनांक 8–9–2015 में अवधारित किया गया है। दर्शित परिस्थितियों में आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील निरस्त की जाती है तथा आबकारी आयुक्त का आदेश दिनांक 03–12–2013 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर